



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129724

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21922 सन् 2026

मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अरशद हुसैन, एजाज़ अहमद

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2025 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- पवई, ज़िला- आजमगढ़ में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मदरसा मॉडर्न निस्वान स्कूल, सुंदर नगर, पावई, ज़िला- आजमगढ़ के प्रबंधक हैं। आवेदक पर आरोप है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर और जाली कागज़ात लगाकर अपने द्वारा चलाए जा रहे मदरसों के लिए सरकारी अनुदान

प्राप्त किया। उनका तर्क है कि शुरू में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 471 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालाँकि, अन्वेषण के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 हटा दी गई। आवेदक पर कथित तौर पर उसके द्वारा चलाए जा रहे चार मदरसों से जुड़े चार प्रकरणों में एक साथ आरोप लगाए गए हैं। इन चार प्रकरणों के अलावा आवेदक का कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है। वे आगे कहते हैं कि यह विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, क्योंकि मदरसा के लिए सरकारी मदद लेते समय आवेदक ने कुछ तथ्य छिपाए थे; ऐसे में मदरसा की मान्यता रद्द की जा सकती है और मदरसा को दी गई रकम की वसूली के लिए कानून के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इससे कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना पत्र का ज़ोरदार विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक ने सरकार से वह पैसा हड़पा है जो असल में हक़दार संस्थानों को दिया जाना चाहिए था। जाँच के दौरान आवेदक पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है और आरोप-पत्र भी दाखिल कर दी गई है। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में दी गई सफ़ाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

6. कथित अपराध 12.7.2018 को हुआ बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 9.3.2025 को दर्ज की गई थी। मदरसे को 17.6.2011 को अस्थायी मान्यता दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए कथित अपराधों से जुड़े प्रकरणों के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और उसके खिलाफ विचारण के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। इन अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। आवेदक 3.4.2026 से जेल में है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया ज़मानत का प्रकरण बनता है।

8. ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अभियुक्त-आवेदक **मोहम्मद सलीम उर्फ़ सलीम** को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के



अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद जमानतदार पेश करने होंगे, साथ ही ये शर्तें भी लागू होंगी:

- i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।
10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।
12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कृष्णा*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।